न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 72/2015

वादी :-

1. ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम
   जाति-सीरवी, निवासी-गरनिया,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मांगीलाल पुत्र भबूत सीरवी
2. कानाराम पुत्र भबूत सीरवी
3. गुदड़राम पुत्र जोगाराम सीरवी
4. जीवनराम पुत्र मोतीराम सीरवी
   जाति-सीरवी,निवासी-गरनिया
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
5. तहसीलदार, जैतारण (भूमिधारी)
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 21/05/2015

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण संख्या 2 उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 21/05/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - गरनिया पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-गरनिया तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी द्वारा क्रय की गई भूमि अपलाराम पुत्र जोगाराम दर्ज हैं। अज्ञानतावश वक्त खरीद जबकि दस्तावेजात में अपलाराम दर्ज करवा दिया था जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम सही हैं। वाद पत्र के ताईद में दस्तावेजात राशन कार्ड संख्या 523/27.07.2010 चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/039415 दिनांक 31/03/1995, आधार कार्ड संख्या 989899232830 एवं पेन कार्ड संख्या CCPPP0930H की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम अपलाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 21/05/2015 को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईश से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा अपलाराम पुत्र जोगाराम दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर-गरनिया में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकसुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार अपलाराम गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम अपलाराम पुत्र जोगाराम सीरवी निंवासी-गरनिया के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गरनिया तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम अपलाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/05/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र गरनिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

1. ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम
   जाति-सीरवी, निवासी-गरनिया,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मांगीलाल पुत्र भबूत सीरवी
2. कानाराम पुत्र भबूत सीरवी
3. गुदड़राम पुत्र जोगाराम सीरवी
4. जीवनराम पुत्र मोतीराम सीरवी
   जाति-सीरवी,निवासी-गरनिया
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
5. तहसीलदार, जैतारण (भूमिधारी)
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

मु0न0 :रा0वा0 स0: 72/2015

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी संख्या. 2 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गरनिया तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम अपलाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

दस्तखत मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र गरनिया में आज तारीख 21/05/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	—Nil—		मिजानः–	—Nil—	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
देवास (पाली)

Scanned by CamScanner